उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2
संख्या–क0नि0–2–623/ग्यारह–9(66)/2012–उ0प्र0 अधिनियम–5–2008–
यू0पी0 वैट नियमावली–08–आदेश–(91)–2013
लखनऊः दिनॉकः 13 मई, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–5, सन् 2008) की धारा 79 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से नियमावली बनाते हैं।

चूँकि राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियॉ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करनी आवश्यक हो गयी है अतएव, राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन बिना पूर्व प्रकाशन के उपर्युक्त नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2013 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम–24 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 में, नियम 24 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(क) निर्माण में प्रयोग होने वाले पूँजी माल के इन्पुट टैक्स की धनराशि के लिये इन्पुट टैक्स केडिट का दावा तीन बराबर धनराशि की वार्षिक किस्तों में कर निर्धारण वर्ष के	(क) निर्माण में प्रयोग होने वाले पूँजी माल के इन्पुट टैक्स की धनराशि के लिये इन्पुट टैक्स केडिट का दावा तीन बराबर धनराशि की वार्षिक किस्तों में कर निर्धारण वर्ष के प्रथम

प्रथम टैक्स अवधि के टैक्स रिटर्न में प्रस्तुत किया जायेगा। इस प्रकार की प्रथम किस्त का दावा, जिस कर निर्धारण वर्ष में पूँजी माल की खरीद की गई है उससे अगले कर निर्धारण वर्ष के प्रथम टैक्स अवधि के टैक्स रिटर्न के साथ प्रस्तुत किया जायेगा तथा अगली किश्तों का दावा अगले कर निर्धारण वर्षों के प्रथम टैक्स अवधि में किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ निर्मित वस्तु का विभिन्न प्रकार से निस्तारण किया गया हो, चाहे बिक्री अथवा अन्यथा, केवल आनुपातिक धनराशि जो कि वार्षिक किस्त से समानुपातिक रूप से आंगणित की जायेगी, का दावा उस सीमा तक प्रस्तुत किया जायेगा तथा स्वीकार किया जायेगा जिस सीमा तक यह अनुमन्य होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि प्रग्रहणीय विद्युत संयत्र के मामलें में, जहॉ विद्युत ऊर्जा का प्रतिशत उपभोग नब्बे प्रतिशत से कम हो, वहॉ इन्पुट टैक्स केडिट के वार्षिक किस्त की केवल आनुपातिक धनराशि का दावा किया जायेगा तथा अनुमन्य किया जायेगा।

टैक्स अवधि के टैक्स रिटर्न में प्रस्तुत किया जायेगा। इस प्रकार की प्रथम किस्त का दावा, जिस कर निर्धारण वर्ष में पूँजी माल की खरीद की गई है उससे अगले कर निर्धारण वर्ष के प्रथम टैक्स अवधि के टैक्स रिटर्न के साथ प्रस्तुत किया जायेगा तथा अगली किस्तों का दावा अगले कर निर्धारण वर्षों के प्रथम टैक्स अवधि में किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ निर्मित वस्तु का विभिन्न प्रकार से निस्तारण किया गया हो, चाहे बिक्री अथवा अन्यथा, केवल आनुपातिक धनराशि जो कि वार्षिक किस्त से समानुपातिक रूप से आंगणित की जायेगी, का दावा उस सीमा तक प्रस्तुत किया जायेगा तथा स्वीकार किया जायेगा जिस सीमा तक यह अनुमन्य होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि कैप्टिव पावर प्लान्ट के मामलें में, जहॉ विद्युत ऊर्जा का प्रतिशत उपभोग नब्बे प्रतिशत से कम हो, वहॉ इन्पुट टैक्स केडिट के वार्षिक किस्त की केवल आनुपातिक धनराशि का दावा किया जायेगा तथा अनुमन्य किया जायेगा :

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार की अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के अधीन स्थापित निर्माण इकाईयों हेतु किसी कर निर्धारण वर्ष के दौरान पूँजी माल

की खरीद के संबंध में इन्पुट टैक्स केडिट का दावा, अगले कर निर्धारण वर्ष के प्रथम टैक्स अवधि के रिटर्न में किया जायेगा और वह अनुमन्य होगा। यह सुविधा राज्य के भीतर प्लांट मशीनरी की प्रथम खरीद के दिनांक से 5 वर्ष या नीति के जारी रहने तक जो भी पहले हो, ऐसे इकाईयों के लिये उपलब्ध रहेगा। यह उपबन्ध उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2013 के प्रारम्भ होने के पश्चात् लागू होगा।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।